कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,नारायणपुर
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष क्र0–07781–299218, **Email id: deonpr74@gmail.com**

//विज्ञापन//

क्रमांक/614 / स्था0–03/स्वामी आत्मा./शिक्षक भर्ती/वि0प्रकाशन/2021–22 नारायणपुर, दिनांक 10 .02.2022

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ीतराई नारायणपुर में संविदा पर शिक्षक/सहायक शिक्षक भर्ती सूचना क्रमांक/613/स्थापना–03/अंग्रेजी माध्यम/शिक्षक भर्ती/विज्ञापन/2021–22 नारायणपुर, दिनांक 10.02.2022 के अनुसार शैक्षिणिक वर्ष 2021–22 में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ीतराई नारायणपुर में शिक्षक विषय – गणित, विज्ञान एवं सहायक शिक्षक विषय–अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) के रिक्त पद पर संविदा माध्यम से भर्ती किया जाना है।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा नियम–शर्तें नारायणपुर जिले के वेबसाईट **www.narayanpur.gov.in** में एवं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

अतः इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो एवं अर्हता के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2021 सायं 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा कर सकते है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला नारायणपुर

पृ0क्रमांक/615 / जिशिअ/स्था0–03/स्वामी आत्मा./शिक्षक भर्ती/प्रकाशन/2021–22 नारायणपुर, दिनांक 10 .02.2022

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रवती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर ,जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर, संभाग जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
6. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क, जिला नारायणपुर को संविदा पर शिक्षक भर्ती सूचना क्रमांक/613/स्थापना/अंग्रेजी माध्यम/शिक्षक भर्ती/विज्ञापन/2021–22 नारायणपुर ,दिनांक 10.02.2022 संलग्न है। कृपया शिक्षक भर्ती जारी सूचना को स्थानीय स्तर के दो समाचार पत्रों एवं एक हिन्दी समाचार पत्रों मे प्रकाशित कर समाचार की एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करेंगे।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, (NIC) नारायणपुर को संलग्न विज्ञाप्ति को छ0ग0 शासन (cg.gov.in) के वेबसाईट में अपलोड कर एक स्क्रीनशॉट की प्रति सहित अपलोड किये जाने की जानकारी लेख करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. जिला कार्यालय नारायणपुर को एक प्रति नोटिस बोर्ड में प्रकाशन हेतु ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला नारायणपुर

कार्यालय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ीतराई, संचालन समिति, जिला नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष क्र0–07781–299218, **Email id: deonpr74@gmail.com**

// विज्ञापन //

क्रमांक/613 /स्थापना–03/अंग्रेजी माध्यम/शिक्षक भर्ती/विज्ञापन/2021–22 नारायणपुर, दिनांक 10 /02/2022

शासन के निर्देशानुसार जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ीतराई, नारायणपुर में शिक्षण सत्र 2021–22 के लिए रिक्त पदों में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति अस्थाई रूप से किया जाना है।

अतः इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक – 24/02/2022 सायं 05:30 बजे कार्यालयीन समय तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नाराणपुर में पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते है। विज्ञापित पद हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सिंगोड़ीतराई, नारायणपुर के संचालन प्रबंधन समिति द्वारा किया जावेगा। विषयवार पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	पद नाम	विषय	पद संख्या	आरक्षण का विवरण	निर्धारित मानदेय (एकमुश्त प्रतिमाह)	निर्धारित योग्यता
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिक्षक	विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	35400/–	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ डी. एड./बी.एड. प्रशिक्षण एवं टी.ई.टी. उत्तीर्ण अनिवार्य है।
2.	शिक्षक	गणित (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	35400/–	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ डी. एड./बी.एड. प्रशिक्षण एवं टी.ई.टी. उत्तीर्ण अनिवार्य है।
3.	सहायक शिक्षक	अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम)	1	अनारक्षित	25300/–	मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) डी.एड. /बी.एड. प्रशिक्षण एवं टी.ई.टी. उत्तीर्ण अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
2. अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक आदि मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

क्रमशः – 02

3. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जावेगी।
4. अन्य शिक्षकों की भांति इन संविदा शिक्षकों को भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मुल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि कार्यो में भागीदारी सुनिश्चित करना होंगा। जिसके लिये अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी ।
5. सेवा समाप्ति के पश्चात कर्मचारी को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
6. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 के अनुसार दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50वर्ष होना चाहिए। अजा/अजजा/अपिव/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक आदि के आवेदको को छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी समय-समय पर आयु सीमा में छूट संबंधी आदेश निर्देश लागू होगे।
8. आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन अंक सूची मान्य होगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची स्वप्रमाणित होने चाहिए। वांछित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित नही होने पर आवेदन अमान्य किया जा सकेगा। इसके लिए आवेदन स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार ए-4 साईज आकार के कागज पर आवेदन करें। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ-साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिये।
10. लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
11. शासकीय, अर्ध्दशासकीय, स्वशासी संस्थाओं में नियमित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
12. **आवेदक जो पात्र नही होंगे :-**
    - I महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरूषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने अवाले उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करे।
    - II आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नही होने पर अपात्र कर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
13. **चयन प्रक्रिया :-**
    - I प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाकर मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जो स्वीकृत पदों के दस गुना होगा। मेरिट सूची में साक्षात्कार छोड़कर शेष योग्यताओं को वेटेज में शामिल करते हुए बनाई जाएगी।
    - II आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात् 10वी,12वीं स्नातक एवं डी.एड/बी.एड में प्राप्त अंको के आधार पर निम्नानुसार वेटेज होगा।
    - (A) शिक्षकों की नियुक्ति के लिये स्नातक में प्राप्त अंको पर 30 प्रतिशत का वेजेज, 12वी में प्राप्त अंको 30 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा।
    - (B) सहायक शिक्षक की नियुक्ति के लिये 12वीं में प्राप्त अंको पर 30 प्रतिशत का वेटेज, 10वीं में प्राप्त अंको पर 30 प्रतिशत वेटेज दिया जायेगा ।
    - (C) सहायक शिक्षक पद हेतु डी.एड./बी.एड.,व्यवसायिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत वेटेज का निर्धारित किया गया है।
    - (D) शिक्षक/सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) पद हेतु अनुभव के लिए 10 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित किया गया है।
    - (E) शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) पद हेतु छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) प्रधिकार से प्रकाशित दिनांक 10.01.2013 के तहत अधिसूचित विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के अभ्यार्थियों को टी.ई.टी. में छूट रहेगी परन्तु व्यावसायिक अर्हता जैसे डी.एड/बी.एड की डिग्री नियुक्ति से 5वर्ष के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

क्रमश – 03

(F) सहायक शिक्षक (अंग्रेजी) पद हेतु छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) प्रधिकार से प्रकाशित दिनांक 28.05.2019 के तहत बस्तर संभाग के स्थानीय निवासियों को जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु स्थानीय निवासी पात्र होगें एवं विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया को टी.ई.टी. में छूट रहेगी परन्तु व्यावसायिक अर्हता जैसे डी.एड/बी.एड की डिग्री नियुक्ति से 5 वर्ष के भीतर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(G) अनुभव हेतु निम्नानुसार अंक दिए जाऐंगे:– 1वर्ष से कम –0, 1–2वर्ष – 03 अंक, 2–4वर्ष –05 अंक, 04–10वर्ष –07 अंक एवं 10वर्ष से अधिक –10 अंक दिया जायेगा ।

टीप :– अनुभव केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में (जिस पद हेतु आवेदन है उसके माध्यम के सुसंगत) अंग्रेजी माध्यम में संबंधित कक्षा को पढाने बाबत ही मान्य किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित संस्था/संस्थाओं के प्राचार्य का प्रमाण पत्र जिसमें अभ्यर्थी द्वारा किस माध्यम में अध्यापन किया गया है एवं किस कक्षा को अध्यापन किया गया है उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो वह मान्य होगा। वर्ष का आशय पूर्ण शैक्षित सत्र से होगा । एक शैक्षिक सत्र में कम से कम 10 माह का अध्यापन करने पर ही उस वर्ष के अनुभव को मान्य किया जाएगा ।अभ्यर्थी द्वारा यदि एक ही शैक्षिक सत्र में दो या अधिक अलग–अलग शालाओं में अध्यापन किया गया है, तो उस शैक्षिक सत्र के कुल कार्य अवधि 10 माह अर्थात 300 दिन या अधिक होने पर ही अनुभव मान्य किया जाएगा।

III तैयार मेरिट सूची से अभ्यार्थियों का मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं साक्षात्कार के लिये बुलाया आयेगा ।

IV मूल प्रमाण पत्रों के जांच/साक्षात्कार परीक्षा के अंको को जोड़कर अंतिम मेरिट बनाई जाकर योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा ।

V चयनित अभ्यार्थियों के साथ अभ्यार्थियों कि प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वालों की संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जायेगा ।

14. विज्ञापित पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई या विलोपित की जा सकती है।

01. आरक्षण – प्रत्येक पद हेतु उक्त संवर्ग में आरक्षण रोस्टर अनुसार बिन्दु 1 से प्रारंभ किया जाएगा । शिक्षक हेतु रोस्टर का पालन जिला स्तर पर दिये गये रोस्टर का पालन होगा । एकांकी पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार आरक्षण लागू नहीं होगा।

02. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, वर्ष के माध्य में नियुक्ति होने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्णांकित किया जावेगा।

03. नियुक्ति के पश्चात जिला के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः निरस्त तानी जावेगी ।

कलेक्टर/अध्यक्ष
स्वा.आ.अं.मा.विद्यालय
सिंगोड़ीतराई, सोसायटी समिति
जिला नारायणपुर